प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 19.11.2026

- **थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या की घटना कारित करने वाले वांछित 02 अभियुक्तों को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों की निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू किया गया बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे तथा वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये, आज दिनांक 19.11.2026 को वादी श्री औसाफ हुसैन पुत्र खालिद हुसैन निवासी हैदरपुरा थाना कदौरा जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण द्वारा उसके पिता की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 357/2026 धारा 103(1) BNS बनाम 03 नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 02 नामजद वांछित अभियुक्तों 1.विशाल कुमार तिवारी 2.विशेष कुमार उर्फ बडे महाराज पुत्रगण राजू निवासीगण मोहल्ला फरहसखाना कदौरा थाना कदौरा जनपद जालौन को कबूतर डेरा करियापुर में खंडरनुमा पडे खाली मकान थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

पूछताछ अभियुक्तगण- पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि खालिद हुसैन के साथ ट्रक साझेदारी में लिया गया था, जिसमें खालिद हुसैन द्वारा अपने हिस्से से 06 लाख 50 हजार रुपये अधिक जमा किए गए थे, जिसको लेकर वह विशाल कुमार तिवारी से बार-बार रुपये मांग रहा था। इसी दौरान गाड़ी पर नया कंडक्टर आया था, जो कदौरा का रहने वाला था। कंडक्टर एवं खालिद हुसैन के बीच भोगनीपुर में विवाद हुआ था। दिनांक 18.11.2026 को अभियुक्त विशाल कुमार तिवारी एवं साका उर्फ राका मोटरसाइकिल से चौरा आए थे, जहां ट्रक पर खालिद हुसैन, विशेष कुमार तिवारी एवं कंडक्टर पहले से मौजूद थे। कल दिनांक 18.11.2026 को समय करीब 05:00 बजे चौरा बाजार के पास विशेष कुमार तिवारी एवं साका उर्फ राका ने खालिद हुसैन को पकड़ लिया तथा विशाल कुमार तिवारी ने सब्जी काटने वाले चाकू से उसके गले पर वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण–

1. विशाल कुमार तिवारी पुत्र राजू निवासी मोहल्ला फरहसखाना कदौरा थाना कदौरा जनपद जालौन उम्र करीब 35 वर्ष
2. विशेष कुमार उर्फ बडे महाराज पुत्र राजू निवासी मोहल्ला फरहस खाना कदौरा थाना कदौरा जनपद जालौन उम्र करीब 40 वर्ष

अभियुक्त विशाल कुमार तिवारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 128/2020 धारा 302/323/386/504/506 भा0द0वि0 व 3(2)(v) Sc/St Act थाना कदौरा जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0 37/2022 धारा 323/504/506/353/332 भा0द0वि0 थाना कदौरा जनपद जालौन
3. मु0अ0सं0 61/2022 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना कदौरा जनपद जालौन
4. मु0अ0सं0 122/2023 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना कदौरा जनपद जालौन
5. मु0अ0सं0 357/2026 धारा 103(1) BNS थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

अभियुक्त विशेष कुमार उर्फ बडे महाराज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 128/2020 धारा 302/323/386/504/506 भा0द0वि0 व 3(2)(v) Sc/St Act थाना कदौरा जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0 61/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना कदौरा जनपद जालौन
3. मु0अ0सं0 357/2026 धारा 103(1) BNS थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

बरामदगी -

1. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 सतीश कुमार सिंह
2. अतिरिक्त निरीक्षक अनिल कुमार
3. उ0नि0 श्री संजीव प्रकाश, चौकी प्रभारी अमरौधा
4. हे0कां0 684 अभय प्रताप सिंह
5. हे0का0 242 वीरेश कुमार
6. हे0का0 360 जयवीर सिंह
7. का0 951 रोहित कुमार